प्रधान सचिव, कृषि कोषांग
30 MAY 2017
3124
बिहार, पटना

संचिका सं०–को०प्र० / कम्प्यूटर–02 / 2017..3709..... / वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

दिनांक–...29/5/17

विषय:– Comprehensive Treasury Management Information System के अंतर्गत e-Payment की व्यवस्था लागू करने के संबंध में ।

भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ऑनलाइन भुगतान हेतु e-kuber Portal संस्थापित किया गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत कोषागार से पारित विपत्र का e-Advice तैयार कर e-kuber पर अपलोड करने पर RBI द्वारा सीधे सभी प्राप्तकर्त्ताओं को उनके बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जायेगा।

2. RBI द्वारा की गयी नयी व्यवस्था के आलोक में राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा CTMIS में e-Payment module विकसित कर संस्थापित किया गया है। इसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले सभी भुगतान सीधे भुगतान प्राप्तकर्त्ताओं के बैंक खाते में RBI द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। RBI Agency Bank का कार्य करेगा। e-Payment के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में किया गया भुगतान सरकारी राशि भुगतान का वैधानिक साक्ष्य माना जायेगा। e-Payment के माध्यम से भुगतान हेतु निर्गत e-Advice "मुख्य शीर्ष–8670 चेक्स एवं विपत्र" में अंतरित होगा। भुगतान सफल होने के ~~अथ~~ ही राशि 8670–मुख्य शीर्ष से डेबिट होगा। असफल भुगतान की राशि मुख्य शीर्ष 8658 में वापस जमा होगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बैंक व्यौरा में सुधार करने के बाद कोषागार द्वारा पुनः भुगतान किया जायेगा। RBI द्वारा सफल एवं कारण सहित असफल भुगतान की सूची CTMIS में उपलब्ध करायी जायेंगी। इसपर डीडीओ भी एक्सेस कर सकते हैं।

3. इस व्यवस्था के निम्नलिखित लाभ है:–

(i) भुगतान में पारदर्शिता आयेगी। राज्य सरकार के खाते से निकासी की गयी राशि सीधे लाभुकों को प्राप्त होगी, जिससे AC/DC विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) सरकारी राशि, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के बैंक खाते में संचित नहीं की जायेगी।

(iii) राज्य में Digital Payment को बढ़ावा मिलेगा।

(iv) RBI से e-Scroll सीधे सभी कोषागारों को ऑनलाइन प्राप्त होने से कोषागार का मासिक लेखा ससमय तैयार होगा तथा उसमें त्रुटि भी कम होगी।

(v) सफल एवं असफल भुगतान की सूचना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (DDO) को उपलब्ध होगी।

4. वित्त विभाग द्वारा प्रयोग के तौर पर वित्त विभाग का माह जनवरी, 2017 का भुगतान (फरवरी, 2017 में) e-Payment के माध्यम से किया गया है।

5. e-Payment एवं उसके लेखांकन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:–

(i) सरकार के द्वारा विभिन्न लाभुकों एवं भुगतान प्राप्तकर्ताओं को भुगतान किया जाता है जैसे सरकारी सेवक, पेंशनर, आपूर्तिकर्ता, वेन्डर, संवेदक, विभिन्न सरकारी योजनाओं के आम लाभुक यथा छात्र, सामीजिक सुरक्षा पेंशनर्स, किसान आदि। भुगतान करने वाले निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पास इनका नाम, पता, बैंक खाता ब्यौरा आदि उपलब्ध डाटाबेस तैयार किया गया है इसलिए उनको किया जानेवाला व्यक्तिगत भुगतान तुरंत प्रारंभ किया जा सकता है। अन्य भुगतान प्राप्तकर्ता और लाभुकों का डाटाबेस तैयार करना होगा। अतः सभी विभाग अपने अधीन लाभुकों का डाटाबेस शीघ्र तैयार कर इसे Validate कर लेना होगा।

(ii) जिन विभागों के पास अपना डाटा बेस उपलब्ध है या होगा, उन्हें CTMIS/ CFMS से जोड़ा जायेगा ताकि CTMIS/CFMS में विपत्र तैयार करने के पूर्व विभागीय पोर्टल से लाभुकों की सूची प्राप्त हो पाय।

(iii) सरकारी स्कीमों के लाभुकों की सूची विभागीय डाटाबेस में तैयार करना, उसका समय–समय पर वैलिडेशन, संशोधन आदि कार्य संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा। विभागीय पोर्टल से लाभुकों की सूची प्राप्त कर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र बनायेंगे। डी.डी.ओ., यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोषागार को ऑनलाईन उपलब्ध कराये गये विपत्र एवं सूची तथा भौतिक रूप से प्रस्तुत विपत्र एवं सूची में कोई भिन्नता नहीं है। लाभुकों/भुगतान प्राप्तकर्त्ताओं की सूची के आधार पर किये गये प्रत्येक भुगतान के लिए संबंधित प्रशासी विभाग एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(iv) भुगतान प्राप्त करने वाले वेन्डरों/संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं की सूची ऑनलाइन CTMIS/CFMS में भी तैयार की जा सकती है। डीडीओ द्वारा विपत्र के साथ भुगतान पाने वाले का नाम, बैंक ब्यौरा, मोबाईल नंबर आदि की प्रविष्टि की जायेगी। इस प्रकार प्रत्येक विपत्र के साथ भुगतान प्राप्तकर्ता की सूची संलग्न होगी।

(v) डी०डी०ओ० द्वारा तैयार विपत्र एवं लाभुकों/प्राप्तकर्त्ताओं की सूची के साथ ऑनलाईन पूर्व की भाँति कोषागार में प्रेषित किया जायेगा। साथ ही विपत्र एवं भुगतान प्राप्तकर्त्ताओं की सूची की भौतिक प्रतिकोषागार के काउन्टर पर प्रस्तुत की जायेगी, जहाँ CTMIS/CFMS से पूर्व की भाँति टोकन नंबर सृजित होगा। विपत्र स्वतः संबंधित लिपिक के लॉग–इन में अंतरित हो जायेगा।

(vi) कोषागार द्वारा विपत्र पूर्व के भाँति पारित किया जायेगा। पारित विपत्र का एडवाइस सिस्टम से सृजित होगा।

(vii) कोषागार पदाधिकारी द्वारा Payment Mandate/e-Advice तैयार किया जायेगा तथा भुगतान हेतु RBI के e-Kuber पर प्रेषित किया जायेगा। RBI के स्तर से सभी लाभुकों के बैंक खाते में यथासंभव T+1 दिन पर स्वतः भुगतान हो जायेगा।

(viii) भुगतान के बाद RBI द्वारा सफल एवं असफल भुगतान का e-Scroll संबंधित कोषागार को ऑनलाइन प्राप्त होगा।कोषागारे का मासिक लेखा स्वतः तैयार होगा।

(ix) असफल भुगतान के मामले में डी०डी०ओ० द्वारा भुगतान प्राप्तकर्ताओं के बैंक ब्यौरा संशोधित किया जायेगा तथा संशोधित विपत्र प्रस्तुत किया जायेगा। जिसके आधार पर कोषागार द्वारा पुनः e-Payment हेतु e-Advice तैयार कर भुगतान किया जायेगा। यदि भुगतान दोबारा असफल होता है तो वर्तमान व्यवस्था के तहत ड्राफ्ट से भी भुगतान किया जा सकता है।

(x) विपत्र पारित होने के साथ संबंधित सेवा शीर्ष से राशि लोक लेखा मुख्य शीर्ष 8670 में अंतरित हो जायेगी। भुगतान के बाद 8670 से राशि डेबिट होगी। असफल भुगतान लोक लेखा उचंत मुख्यशीर्ष–8658 में अंतरित होगा। बैंक विवरणी में संशोधन के बाद Repayment of Deposit Bill के माध्यम से पुनः भुगतान किया जायेगा। यदि असफल भुगतान वाली राशि को निरस्त करना है तो उसे व्यय में कमी के रूप में संबंधित सेवा शीर्ष में अंतरित कर दिया जायेगा।

6. भुगतान प्राप्तकर्ताओं / लाभुकों (सरकारी / संविदा कर्मी, सेवानिवृत्तकर्मी, संवेदक, आपूर्तिकर्त्ता, वेण्डर, परामर्शी, सरकारी स्कीम के लाभुक आदि) का बैंक खाता विवरणी की सत्यता का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। CTMIS/ CFMS किसी भी तरह से लाभुकों के बैंक खाता का सत्यापन नहीं करता है। प्रत्येक विभाग अपने से संबंधित लाभुकों की सूची सिस्टम में तैयार कर ले तथा उसका नियमित रूप से अपडेशन किया जाय।

7. RBI द्वारा कोषागारवार e-Scroll संबंधित कोषागार को ऑनलाइन प्राप्त होगा । कोषागार द्वारा मासिक लेखा तैयार कर महालेखाकार, बिहार को प्रेषित किया जायेगा।

8. लाभुकों / भुगतान प्राप्तकर्ताओं के बैंक खाते में RBI–e-Kuber के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की उपर्युक्त व्यवस्था एवं प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु वित्त विभाग को आवश्यक प्रक्रिया विहित करने एवं इस हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29/5

(एच०आर० श्रीनिवास)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक : को०प्र० / कम्प्यूटर–02 / 2017 ....3709........ / वि० पटना, दिनांक 29/5/17

प्रतिलिपि :– 1. महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना।

2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना।
3. महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव।
4. प्रधान सचिव / सचिव सभी विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना ।
6. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना
7. सचिव, बिहार विधान सभा
8. सचिव, बिहार विधान परिषद, बिहार ।
9. महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी बैंकिंग विभाग, दक्षिणी गाँधी मैदान, पटना ।
10. सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार ।
11. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।
12. सभी आरक्षी अधीक्षक, बिहार ।
13. सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार ।
14. सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार।
15. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार ।

29/5

(एच०आर० श्रीनिवास),

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक : को०प्र० / कम्प्यूटर–02 / 2017 3709 / वि० पटना, दिनांक 29/5/17

प्रतिलिपि : सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु / प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

29/5

(एच०आर० श्रीनिवास),

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

ज्ञापांक–3/कृ०–बजट–विविध– 85/2015 2285 /कृ०, पटना, दिनांकः – 2/6/ 2017

Fax/Mail

प्रतिलिपि :–कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान/निदेशक भूमि संरक्षण/निदेशक बामेति/निदेशक पी०पी०एम०/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/नियंत्रक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर/नियंत्रक राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर/सभी जिला कृषि पदाधिकारी।/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी /सभी सहायक निदेशक (शष्य) बीज बीश्लेषण प्रयोगशाला/सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/उप निदेशक (शष्य) शिक्षा, बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) बीज निरिक्षण बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) तेलहन बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) पाट कृषि निदेशालय बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट बिहार, पूर्णियाँ/ अपर निदेशक (शष्य) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/ सभी सहायक निदेशक, (पौधा संरक्षण)/ सभी उप निदेशक (पौधा संरक्षण)/ संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण)/उप निदेशक (रसायन) कम्पोष्ट बिहार, पटना/सभी सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/प्रशासी–सह–लेखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि विभाग/कृषि निदेशालय/लेखा पदाधिकारी कृषि विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(प्रभु राम) 02/6/17

निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2285 /कृ०, पटना, दिनांकः – 2/6/ 2017

प्रतिलिपि :– सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2285 /कृ०, पटना, दिनांकः – 2/6/ 2017

प्रतिलिपि :– उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई–टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।